Booklet No: 250906

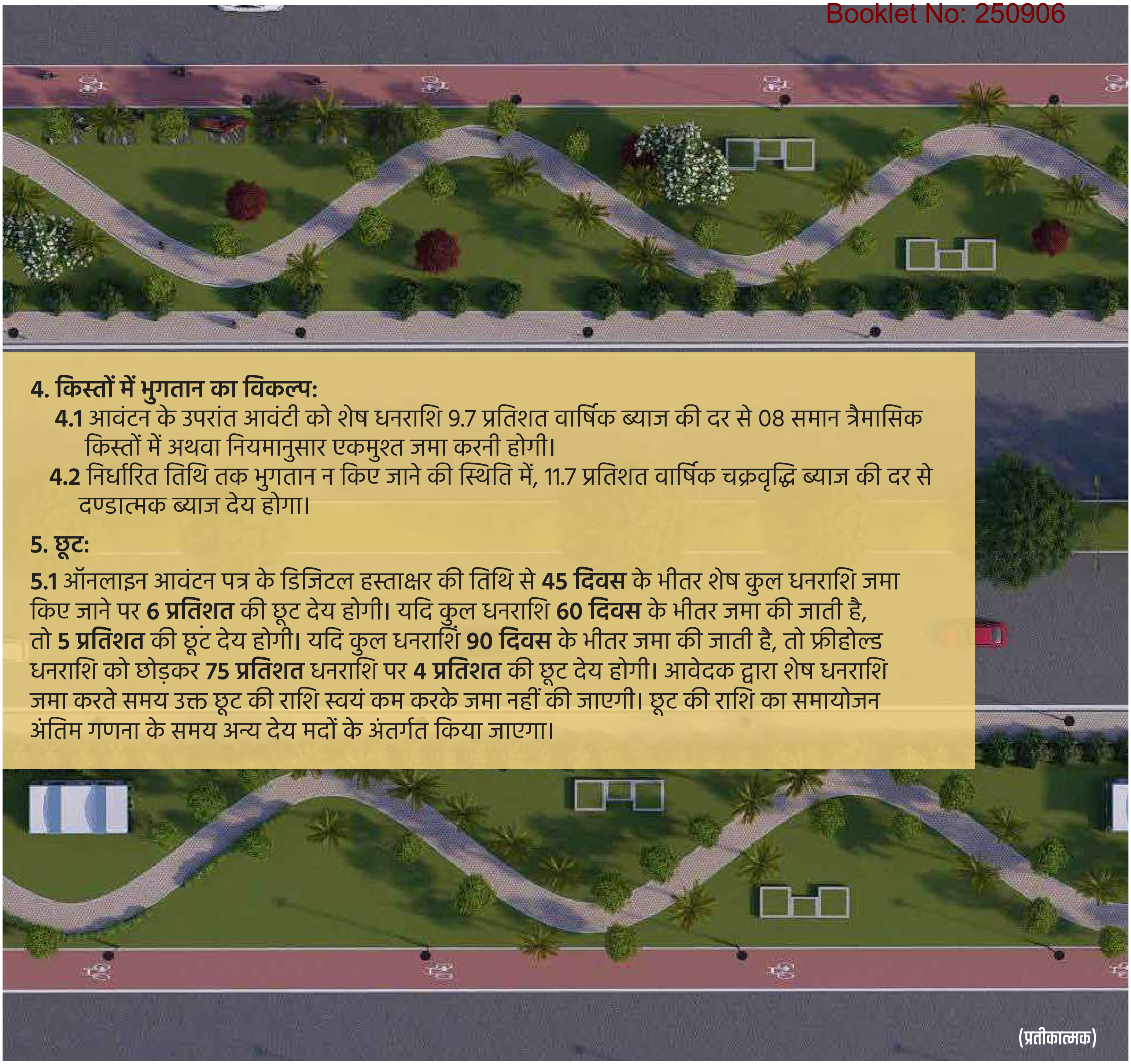

4. किस्तों में भुगतान का विकल्प:

4.1 आवंटन के उपरांत आवंटी को शेष धनराशि 9.7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 08 समान त्रैमासिक किस्तों में अथवा नियमानुसार एकमुश्त जमा करनी होगी।

4.2 निर्धारित तिथि तक भुगतान न किए जाने की स्थिति में, 11.7 प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से दण्डात्मक ब्याज देय होगा।

5. छूट:

5.1 ऑनलाइन आवंटन पत्र के डिजिटल हस्ताक्षर की तिथि से **45 दिवस** के भीतर शेष कुल धनराशि जमा किए जाने पर **6 प्रतिशत** की छूट देय होगी। यदि कुल धनराशि **60 दिवस** के भीतर जमा की जाती है, तो **5 प्रतिशत** की छूट देय होगी। यदि कुल धनराशिं **90 दिवस** के भीतर जमा की जाती है, तो फ्रीहोल्ड धनराशि को छोड़कर **75 प्रतिशत** धनराशि पर **4 प्रतिशत** की छूट देय होगी। आवेदक द्वारा शेष धनराशि जमा करते समय उक्त छूट की राशि स्वयं कम करके जमा नहीं की जाएगी। छूट की राशि का समायोजन अंतिम गणना के समय अन्य देय मदों के अंतर्गत किया जाएगा।

(प्रतीकात्मक)

Booklet No: 250906

4. Option for Payment in Installments :

4.1 After the allotment the allottee have to deposit balance amount in 08 Quarterly installments with 9.7% annual interest or one-time payment as the case may be.

4.2 If the payment is not made by due date, then penal interest @ 11.7% compound annually shall be payable.

5. Discount:

5.1 If the remaining total amount is paid within **45 days** from the date of digital signing of the online allotment letter, a **6%** discount will be applicable, if total amount is paid within **60 days** then **5%** discount will be applicable, if total amount is paid within **90 days** then **4%** discount will be applicable on **75%** of the amount (excluding the freehold amount). The applicant should not deduct this discount on their own while depositing the remaining amount. The discounted amount will be adjusted under other payable heads at the time of the final calculation.

6. आवंटी/आवेदक की मृत्यु की दशा में:

Booklet No: 250906

यदि आवंटी या आवेदक की मृत्यु हो जाती है, तो उसकी पंजीकरण धनराशि अथवा आवंटित भूखण्ड उसके उत्तराधिकारी को आवश्यक अभिलेख उपलब्ध कराने पर, नामान्तरित कर दिया जाएगा।

7. आरक्षण:

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार विभिन्न वर्गों को आरक्षण अनुमन्य होगा जो वर्तमान में निम्नवत है-

क्र. सं.	वर्ग	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	21
2	अनुसूचित जनजाति	02
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	27
4	विधायक/सांसद व स्वतंत्रता संग्राम सेनानी	05
5	सरकारी सेवकों तथा सुरक्षा सेवाओं के सेवारत कर्मचारी जिन्होंने 50 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो	05
6	विकास प्राधिकरण/उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, जल संस्थान, नगर महापालिका व स्थानीय निकाय, आवास बंधु कार्यालय एवं नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के कर्मचारी	02
7	भूतपूर्व सैनिक	03
8	सामान्य	00

नोट:

दिव्यांगों को शासनादेश संख्या-55/आठ-1-18-185 विविध/2010 **दिनांक 15.05.2018** के अनुसार 5% हॉरिजेन्टल आरक्षण देय होगा तथा शासनादेश संख्या-4985/9-आ-1-99-79 बैठक/99 **दिनांक 17.12.1999** के अनुसार समाज के वृद्धजनों के लिए 10% के आरक्षण की व्यवस्था की गयी है, परन्तु यह आरक्षण अलग से न होकर प्रत्येक श्रेणी के लिए उपलब्ध आरक्षण में से ही होगा।

6. In Case of Death of Allottee/Applicant :

Booklet No: 250906

In the event of the death of the allottee or applicant, the registration amount or the allotted plot shall be transferred to the legal heir upon submission of the required documents.

7. Reservation :

Reservation shall be applicable to various categories as per the Government Orders of Uttar Pradesh, which are currently as follows :

S.No.	Category	Percentage
1	Scheduled Caste(SC)	21
2	Scheduled Tribe(ST)	02
3	Other Backward Class(OBC)	27
4	MLAs/MPs and Freedom Fighters	05
5	Government employees and employees of security services who have completed 50 years of age	05
6	Employees of Development Authorities / Uttar Pradesh Housing Development Council,Jal Sansthan, Municipal Corporations and Local Bodies, Housing Bandhu Office, and Town & Country Planning Department	02
7	Ex-Servicemen	03
8	General Category	00

Note :

As per Government Order No. 55/8-1-18-185 (Misc.)/2010 **dated 15.05.2018**, 5% horizontal reservation shall be provided to persons with disabilities. Further, as per Government Order No. 4985/9-A-1-99-79 Meeting/99 **dated 17.12.1999**, a provision of 10% reservation for senior citizens has been made. However, this reservation shall not be in addition to the reservations available under each category.

Booklet No: 250906

8. शुल्क/कर आदि की देयताः

8.1 शासन/नगर निगम/जल संस्थान अथवा अन्य किसी अभिकरण द्वारा रोपित समस्त शुल्क/करों का भुगतान आवंटी द्वारा वहन किया जाएगा।

8.2 भूखण्डों का मूल्य व क्षेत्रफल अनुमानित है, जिसमें भूमि दर/क्षेत्रफल में अलग-अलग कारणों से वृद्धि/परिवर्तन/परिवर्धन संभावित है। वास्तविक मूल्य/क्षेत्रफल के अनुसार आवंटी को अतिरिक्त धनराशि जमा करनी होगी।

8.3 आवंटन संबंधी अन्य नियम व शर्तें योजना की विवरण पुस्तिका तथा लखनऊ विकास प्राधिकरण की वेबसाइट **www.ldalucknow.in** पर देखे जा सकते हैं।

8.4 योजना में भूखण्डों के निबन्धन के उपरान्त योजना को नगर निगम को हस्तांतरित होने तक अवस्थापना सुविधाओं के रख-रखाव हेतु प्राधिकरण अथवा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क (जी0एस0टी0 सहित) का भुगतान आवंटी को करना होगा।

9. पंजीकरण का निरस्तीकरण एवं जमा धनराशि की वापसीः

लॉटरी के पश्चात असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि लॉटरी तिथि से तीन माह में वापस किये जाने की स्थिति में कोई ब्याज देय नहीं होगा। असफल आवेदकों की पंजीकरण धनराशि तीन माह से अधिक समय के पश्चात वापस किये जाने की स्थिति में जमा की गई पंजीकरण धनराशि पर 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज देय होगा।

10. भूखण्ड के आवंटन का निरस्तीकरणः

10.1 यदि कोई आवेदक आवंटन हो जाने के पश्चात आवंटित भूखण्ड को निरस्त कराकर धनराशि वापस लेना चाहता है तो पंजीकरण धनराशि का 20% एवं देय जी0एस0टी0 काटकर शेष धनराशि बिना ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

10.2 यदि आवंटी द्वारा 3 किस्तें जमा नहीं की जाएंगी तो उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 को अधिकार होगा कि भूखण्ड का आवंटन नियमानुसार नोटिस जारी करते हुए निरस्त कर दें तथा लगातार 6 किस्तों के डिफॉल्ट होने पर बिना किसी सूचना के आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा एवं उपरोक्त बिंदु 10.1 के अनुसार कटौती कर बिना ब्याज धनराशि वापस कर दी जाएगी।

11. फ्री-होल्ड शुल्कः

प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूखण्ड का निबन्धन फ्री होल्ड भूमि के रुप में किया जाएगा। भूमि मूल्य (पार्क, कॉर्नर, 18 मीटर चौड़ी सड़क या अधिक होने पर सम्मिलित करके) का 12% की दर से फ्री होल्ड शुल्क निबंधन के पूर्व देय होगा, जो भूखण्ड के मूल्य में सम्मिलित नहीं है।

8. Details of Fees/Charges :

8.1 All fees/charges imposed by the Government/Municipal Corporation/Jal Sansthan or any other authority shall be borne by the allottee.

8.2 The cost and area of the plots are tentative and are subject to increase/change/addition in the land rate/area is possible due to various reasons. The allottee shall be required to deposit any additional amount as per the actual cost/area.

8.3 Other rules and conditions related to allotment can be seen in the information booklet and on the website of Lucknow Development Authority **(www.ldalucknow.in).**

8.4 After allotment of plots and until the scheme is transferred to the Municipal Corporation, the allottee shall pay maintenance charges **(including GST)** as prescribed by the Authority or the Government of Uttar Pradesh for the maintenance of infrastructure facilities.

9. Cancellation of Registration and Refund of Deposited Amount :

After the lottery, unsuccessful applicants shall not be entitled to any interest if their registration amount is refunded within three months from the date of lottery.
If the refund is made after three months, interest at the rate of 4% per annum (simple interest) shall be payable on the deposited registration amount.

10. Allotment Cancellation of Plots :

10.1 If an allottee wishes to cancel the allotted plot and withdraw the amount after allotment, 20% of the registration amount and applicable GST shall be deducted and the remaining amount shall be refunded without interest.

10.2 If the allottee fails to deposit three installments, the Vice-Chairman, L.D.A., shall have the authority to cancel the allotment of the plot by issuing a notice in accordance with the rules. Further, if there is a default of six consecutive installments, the allotment shall be cancelled without any prior notice and the amount shall be refunded after deductions as per clause 10.1, without interest.

11. Freehold Charges :

The allotted plot shall be registered as freehold plot by the Authority.
A freehold charge at the rate of 12% of the land cost (including park/corner charges and road width of 18 meters or more, if applicable) shall be payable before execution of the sale deed. This charge is not included in the plot cost.